ISSN 2278-8808 SJIF 2015: 5.403
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

शांति शिक्षा के लिए विद्यालयों में अहिंसा अनुशीलन

शिरीष पाल सिंह, Ph. D.

सह प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, म. गां. अं. हि. वि. वि. वर्धा

Scholarly Research Journal's ***is licensed Based on a work at*** *www.srjis.com*

1. विशय प्रवेश

आतंकवाद जनसंख्या–विस्फोट, गरीबी, अशिक्षा, पर्यावरण–प्रदूषण, सामाजिक–प्रदूषण, विनाश के रासायनिक एवं परमाणु हथियार, बाल–मृत्यु, मातृ–मृत्यु, रुग्णता, चिरकालिक तथा उच्च कुपोषण, भूख–मृत्यु, लिंगानुपात में कमी, बालश्रम, लैंगिक–अपराध, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन, विकलांगता, वृद्धावस्था में ससम्मान जीवनयापन में अवरोध, प्राकृतिक–आपदाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, असमयवृष्टि, घूसखोरी, सामाजिक तथा राष्ट्रीय चोरी, असत्य आचरण, स्थानिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक अशान्ति, भय, मानवता के प्रति उपेक्षा भाव, धन की प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में कमी, अंधविश्वास, वैज्ञानिक सोच का विकसित न हो पाना, भविष्यवाणियों में विश्वास करना, टीकाकरण के प्रति उपेक्षा भाव, टीकाकरण का विरोध करना, सर्वधर्म सद्भाव का विनष्ट होना, धार्मिक–कट्टरता, सम्पत्ति का असमान वितरण, राष्ट्रीयता का विकास न हो पाना, संस्कृति का अपसंस्कृति में परिणत होना, लोकतंत्र की भावना में गिरावट, भारतीय समाजवाद तथा गणतंत्र की भावना के प्रति उपेक्षा भाव, वित्तीय तथा नैतिक भ्रष्टाचार, पुलिस का पुरातन रवैया बरकरार रहना, अमानवीय यातनाएं देना, सामाजिक न्याय न मिल पाना, नैसर्गिक न्याय न मिल पाना, न्याय मिलने में देरी, बच्चों का बचपन छिन जाना, महिलाओं को सम्मान तथा समान अधिकार न मिल पाना तथा लैंगिक पूर्वाग्रह आदि अनकानेक समस्याएं सुरसा के मुँह की तरह, हमारे सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, लोकतंत्रामक गणराज्य के समक्ष खड़ी हो कर हमें भयभीत कर रही है।

ये समस्याएँ एक दूसरे से इतनी सम्बन्धित हैं कि एक बार में एक को सुलझाना सम्भव नहीं है। दार्शनिकों का मानना है कि इन सब को एक साथ सुलझाना ही विवेकपूर्ण कार्य

होगा तभी इनका समाधान हो सकेगा। भारतीय द र्शन में अहिंसा व भाान्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को धर्मो का धर्म तथा अहिंसा का परम लक्ष्य भाान्ति बताया है। अतः अहिंसा तथा भाान्ति के सम्बन्ध में अध्ययन अत्यन्त आव यक है।

1. सभी व्यक्ति सुख और शांति की कामना करते हैं। सभी राष्ट्र विश्व में शांति चाहते हैं। युद्ध, मार–काट, लड़ाई–झगड़े आदि अमानवीय समस्याओं से सभी व्यक्ति त्रस्त और अभिशप्त हैं। फिर भी राष्ट्रों, समुदायों तथा व्यक्तियों के बीच, युद्ध तथा हिंसाएॅ होती रहती हैं। बर्ट्रेण्ड रसेल ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों को देखा जिससे वे अत्यन्त दुःखी हुए। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से शांति का नारा बुलन्द किया तथा 1936 में एक पुस्तक शांति का मार्ग (वे टू पीस) लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व के समक्ष शांति का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि स्थायी शांति की आर्थिक और राजनीतिक शर्तों के साथ–साथ कुछ मनोंवैज्ञानिक शर्तें भी हैं जिनकी पूर्ति आवश्यक है। शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक शिक्षा को इस प्रकार का होना चाहिए कि वह ऐसे चरित्र को विकसित करें जिससे व्यक्ति युद्ध और हिंसा में आनन्द की अनुभूति न करें।

युद्ध और हिंसा की ओर उन्मुख करने वाला एक मनोवैज्ञानिक कारण है– भय। भय से ही संदेह, घृणा, द्वेष आदि भावनाओं का विकास होता है। भय संसार का सबसे बड़ा दुर्गुण है। बर्ट्रेण्ड रसेल 1960)। भय के कारण ही राष्ट्र शस्त्रीकरण की अंधी दौड़ में शामिल होकर तबाह होते हैं। प्रतियोगिता, शक्ति से प्रेम और द्वेष अन्य मनोवैज्ञानिक कारण हैं। जिनमें युद्ध और हिंसा की उत्पत्ति होती है। बर्ट्रेण्ड रसेल (1946)। प्रतियोगिता व्यक्ति के शांति का हरण कर लेती है, उसे शांति से नहीं रहने देती। यद्यपि जनसेवा, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कलात्मक उपलब्धियों में स्वस्थ्य–प्रतियोगिता अच्छी है। सृजनात्मक कार्यों में प्रतियोगिता को संरक्षण मिलना चाहिए। किन्तु नौकरियों वस्तुओं के संग्रह में प्रतियोगिता को हतोत्साहित करना चाहिए। द्वेष भावना भी व्यक्ति को अशांति की ओर ले जाती है। इससे विध्वंसात्मक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। शांति के लिए युद्ध के कारण एवं द्वेष का उन्मूलन आवश्यक है। (बर्टेण्ड रसेल 1948)। शक्ति के प्रति भक्ति का भी यही हाल है। प्रभुता प्राप्त करने के लिए भी युद्ध लड़ाई–झगड़े होते हैं। शोषण, अत्याचार, हिंसा आदि को प्रोत्साहन मिलता है। रसेल का मत है कि मनुष्य के मस्तिष्क में व्याप्त शक्ति–भक्ति को उचित मोड़ दिया जाए।

2– शिक्षा का उद्देश्य, शांति की भावना को विकसित करने के लिए हो। मनुष्य के संवेगों में प्रमुख संवेग क्रोध है। गीता में क्रोध का कारण कामनाओं की पूर्ति न होना बताया गया है। गीता के अध्याय 2 के निम्नलिखित श्लोक अत्यन्त स्पष्ट रूप से इस संबंध की व्याख्या करते हैं :–

ध्यायतो विशयान् पुंसः सङग् स्तेशूपजायते।

सङग् त्सज्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। 62/1

क्रोधाद्भवति सम्मोह : सम्मोहात्स्मृति विभ्रमः।

स्मृतिभ्रं ाद् बुद्धिना ो बुद्धिना ात्प्रण यति।।63।।

रागद्वेशवियुत्कैतस्तु विशयानिन्द्रियैच्श्चरन्।

आत्मव यैर्विधेयात्मा प्रमादम धिन्च्छति।।64।।

विशयों का चिन्तन करने वाले पुरुश की उन विशयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विशयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विध्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ।।62।। क्रोध से मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है।। 63।। परन्तु अपने अधीन किये हुये अन्तःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, राग द्वेष से रहित इन्द्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अन्तःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है ।।64।।

क्रोध एक सर्वव्यापक संवेग है। संवेग सुखद और दुःखद दोनों प्रकार के होते हैं। प्रसन्नता, क्रोध, चिंता ईष्या इत्यादि सुखद सवेंग होते हैं। सुखद संवेग जीवन में उत्साह पैदा करते है। जबकि दुःखद संवेग जीवन में चिन्ता, भय, क्रोध, तनाव तथा अवसाद पैदा करते हैं। सुखद संवेग समायोजन की प्रक्रिया में सहजता पैदा करते हैं जबकि दुःखद संवेग समायोजन में समस्या पैदा करते हैं। क्रोध व्यक्ति में आक्रामकता पैदा करता है। इसी प्रकार भय भी व्यक्ति में असुरक्षा की भावना विकसित करता है। यदि समग्र रुप से देखा जाए तो संवेग व्यक्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। इनकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक है, इसमें व्यवहार चेतन अनुभूति एवं आन्तरिक– क्रियाएं भी सन्निहित रहती हैं।

संवेग व्यक्तिगत चेतना अनुभूति है इसका कारण निश्चित होता है। संवेग के साथ भाव संयुक्त होता है। संवेग के कारण अशांति एवं तनाव अनुभव किया जाता है। संवेगों की उत्पत्ति में प्रेरणा का भी योगदान रहता हैं संवेग से शरीर में अनेक प्रकार के वाह्य और

आन्तरिक परिवर्तन होते हैं, संवेगों के कारण विवक निश्क्रिय हो जाता है। संवेगों का विस्थापन भी होता है। कुछ दशाओं में संवेगों के दमन से उनकी तीव्रता और बढ़ जाती है और व्यवहार असामान्य हो जाता है।

व्यक्ति कई विधियों से अपने व्यवहार को समाज सम्मत करने के लिए कई प्रकार की रक्षा युक्तियां (Defense Mechanism) अपनाता है। ये रक्षा युक्तियां व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करती हैं। प्रमुख मनोसंरचनाएं दमन, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया निर्माण, यौक्तिकरण, रुपान्तरण, उदात्तीकरण, वास्तविकता से पलायन, आत्मीकरण, प्रक्षेपण, अन्तःक्षेपण (Introjection) विस्थापन, क्षतिपूर्ति, स्थानान्तरण तथा स्वप्नचित्र है।

3. बचपन में कई प्रकार की व्यवहारगत समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रमुख समस्याएं हैं– मूत्र–असंयम, क्रोधावेश, बदमिजाजी, अंगूठा चूसना, नकारात्मकता, रोना–धोना, झूठ बोलना, डरपोक होना, चोरी करना, वाक्–विकार, नाखून काटना, वामहस्तता तथा शर्मीलापन। इन समस्याओं के समाधान के लिए अभिभावक तथा अध्यापक अपनी–अपनी युक्तियां अपने–अपने व्यक्तित्व के अनुसार करते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न युक्तियां अपना प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर छोड़ देती है। अतः अध्यापकों तथा अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए बालमनोविज्ञान द्वारा सुझाई गई प्रविधियों का प्रयोग करें ताकि बच्चों के व्यक्तित्व पर कोई दुष्प्रभाव न हो।

4. हमारे वैदिक साहित्य में अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग मत, पंथ या सम्प्रदाय नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सम्पूर्ण पद्धति है।। अष्टांग योग विश्व–शांति स्थापन का एक ऐसा साधन है जिससे वैयक्तिक तथा सामाजिक, समरसता शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, तथा आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। ऋषि पतंजली ने योग सूत्र में लिखा है–

यमनियमाप्राणायामप्रत्साहार धारणाध्यानसमाधयः अष्टौ–अग्डानि।।

योग.द. 2.29

यम्नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये योग के आठ अंग हैं। यम और नियम अष्टांग योग के आधार हैं।

यम का अर्थ है–**न्यम्यन्ते उपरम्यंते निवर्त्यन्ते हिंसादिम्य इन्द्रियाणि यैस्ते यमा** अर्थात जिन के अनुष्ठान से इन्द्रियों एवं मन को हिंसादि अशुभ भावों से हटाकर आत्म केन्द्रित किया

जाए वे यम हैं। यमों की परिगणना इस प्रकार है।

अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमा।। योग.द. 2.30।।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (अचौर्य), अपरिग्रह तथा ब्रहाचर्च ये 5 यम हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है–

अहिंसा सत्यवचनम् ब्रह्मचर्यमल्पता।

अस्तेय मिति पंचमेति यमावै परिकीतित।। मनुस्मृति. 4.111 ।।

अहिंसा, किसी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न देना है। अर्थात मन से किसी का अहित न सोचना, कटुवाणी से किसी को आहत न करना किसी भी स्थिति में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना–अहिंसा है। गांधी जी का कहना है कि अहिंसा सब धर्मों का मूल है। सत्य को अहिंसा के माध्यम से जाना जा सकता है। हिंसा से क्रोध, घृणा तथा भय की भावना का विकास होता है अतः हिंसा सत्य को समझने में बाधक है। सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा सब प्राणियों के प्रति बुरी भावनाओं का त्याग है। अहिंसा विशुद्ध प्रेम है।

जैनधर्म में अहिंसा का विस्तृत वर्णन है। अहिंसा को पंच–महाव्रतों–अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा असंग्रह में पहला स्थान है। अहिंसा का अर्थ केवल जीवों की हिंसा न करना नहीं है बल्कि उनके प्रति प्रेम का भाव भी रखना है। अहिंसा का पालन मन, कर्म तथा वचन से किया जाना चाहिए।

बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग–सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि है। सम्यक कर्म में अहिंसा, अस्तेय तथा इन्द्रिय संयम आते हैं।

विश्वशांति के बच्चों की वृद्धि और विकास में अहिंसा और प्रेम का प्रयोग किया जाए। व्यक्ति के संतुलित विकास से ही समाज का संतुलित विकास सम्भव है और समाज के संतुलित विकास से ही विश्व में शांति की स्थापना सम्भव है।

तेरा पंथ श्वेताम्बर जैन धर्म के दशम् आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनुसार ''शांति के बारे में विचार तथा चर्चा का मात्र इतना ही आशय नहीं है कि शांति केवल राष्ट्रों के बीच में ही हो बल्कि शांति तो समाज की रगरग में, मानवजाति में यहां तक कि प्रकृति में भी व्याप्त होनी चाहिए।''

5. सुप्रसिद्ध दार्शनिक कमेनियस (1592–1670) का मानना है कि ''यदि हम किसी व्यक्ति को सद्गुणों से शिक्षित करना चाहते हैं तो उसे कोमल आयु (tender age) में ही संवारना चाहिए।'' इनका मानना है कि '' राज्य के लिए लौह–प्राचीरों, कास्यद्वारों, चांदी तथा सोने के ढ़ेरों तथा राजमहलों की अपेक्षा भद्र तथा बुद्धिमान मनुष्य कहीं अधिक मूल्यवान है।'' वे अध्यापकों को निर्देश देते हैं कि ''अध्यापकों को चाहिए कि वे रूखेपन से शिष्यों को विलग न करें वरन पितृवत स्थाई भावों एवं शब्दों से उन्हें आकृष्ट करें'' वे अध्यापकों को यह भी सलाह देते हैं कि '' सीखने की तत्परता के अभाव में बालक को दण्ड न दिया जाए क्योंकि बालक का सीखने के लिए तत्पर न होना, अध्यापक की स्वयं की भूल है। जो या तो यह नहीं जानता कि बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे तैयार किया जाए या फिर ऐसा करने का कष्ट नहीं उठाता।'' वे आगे कहते हैं कि '' एक संगीतज्ञ अपने सितार को घूंसे, डण्डे से नहीं मारता न ही उसे दीवार से मार कर तोड़ता है क्योंकि वह भद्दी आवाज निकालता है इसके विपरीत वह सितार को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उसे लययुक्त बना कर व्यवस्थित करता है।'' कमेनियस ने यद्यपि शारीरिक दण्ड और दोषारोपण की बात भी कही है परन्तु उनका यह दण्ड बुराई को दूर करने के लिए है वे कहते है कि '' दण्ड से छात्र यह समझे कि दण्ड उसकी भलाई के लिए है। दण्ड में वैमनस्य या ईष्या का भाव नहीं होना चाहिए और न ही गम्भीर आघात हो, दण्ड सद्भावना द्योतक हो तथा साधारण हो। सत्य और शांति के लिए यूनेस्को ने कमेनियस के विचारों के बार–बार दोहराया है।'' समस्त मानवजाति के लिए समन्वय तथा शांति की सुरक्षा दी जानी चाहिए। शांति और समन्वय से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि शासकों तथा जनता में बाह्य शांति रहे बल्कि मस्तिश्क की आन्तरिक शांति हो, जो विचारों और भावनाओं की व्यवस्थाओं द्वारा प्रेरित की जाए। ''

6– तैत्तिरीयोपनिषद् में आचार्य यज्ञ करते हुए प्रार्थना करते हैं :

आमायन्तु ब्रहनचरिणः स्वाहा।
विभायन्तु ब्रहनचारिणः स्वाहा।
प्रमायन्तु ब्रहमचरिणः स्वाहा।
दमायन्तु ब्रहनचारिणाः स्वाहा।
शमायन्तु ब्रह्मामचारिणः स्वाहा। **तैत्रि 4.2**

ब्रह्मचारी मेरे पास आवें। ब्रह्मचारी मेरे प्रति निष्कपट हों ब्रह्मचारी प्रमा (यथार्थज्ञान) प्राप्त करें। ब्रह्मचारी दम(इन्द्रिय दमन) करें। ब्रह्मचारी शम (मनोनिग्रह) करें। (यहां पर दमन तथा शमन का अर्थ वर्तमान में प्रचलित दमन और शमन अर्थ से अलग है। यह बलपूर्वक दमन तथा शमन से अलग है। आचार्य यह प्रार्थना करता है कि उसका शिष्य–

युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो
हदिष्ठो बल्ष्ठिस्तस्येंय पृथिवी
सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्
तैत्रि उ.8.1।

साधु स्वभाव वाला नवयुवक तथा अध्यायक (वेद पढ़ा हुआ),आशिष्ठ : (आशावान), दृढ़िष्ठः (अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ अत्यंत बलवन तथा धनवान हो। आचार्य और शिष्य प्रार्थना करते हैं–

ऊॅ सह नाववतु।सहनौ भुनक्तु। सहविर्यं करवाव है।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मां विद्विषाव है।।
ऊॅ शांति! शांति! शांति!

परमात्मा हम दोनों (आचार्य और शिष्य की) साथ–साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ–साथ पालन करें, हम साथ–साथ वीर्य यानि विद्याजनित सामर्थ्य सम्पादन करे। हम दोनों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी (सम्यक रूप से अर्थ ज्ञान योग्य) हो, ऐसी कामना है।

इस प्रकार त्रिविध शांति हो अर्थात आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के तापों से शांति हो।

तैत्तिरीयोपनिष्द् के अनुसार आचार्य और शिष्य का पारस्परिक सम्बंध–निष्कपट हो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने को तत्पर, मनोनिग्रह, दम तथा शम, आशावान, अध्यायक (वेद पढ़ा हुआ), दृढ़ और बलिष्ठ हों तथा ज्ञान सम्पन्न सामर्थ्य से युक्त होने की कामनाओं से परिपूर्ण हों तथा दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से मुक्त हों।

इस प्रकार के व्यक्तित्वगुणों से परिपूर्ण शिष्य और आचार्य विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। बच्चों में विभेद करना उपेक्षा का बहुत ही दुष्प्रभावी कारक होता है। बहुत से परिवारों में लड़के लड़कियों में विभेद किया जाता है। इस विभेद को कई बार बच्चे सहन करते रहते हैं। कई बार विद्रोह कर देते हैं। परिवारों में विभेद की स्थिति खाने–पीने, वस्त्र, विद्यालय के चयन, पाठ्यक्रम के चयन में होती है। विभेद तथा उपेक्षा

विद्यालयों में भी की जाती है आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्पसंख्यक विकलांग बच्चों की उपेक्षा की जाती है।

परिवारों में शारीरिक हिंसा के साथ संवेगात्मक हिंसा भी की जाती है। बच्चे को बेइज्जत करना, उन्हें मूर्ख, गधा, पागल कहना, उपेक्षा करना, कमरे में बंद कर देना, धमकी देना, बात न करना, परिवार से अलग भेज देना, कम आयु में छात्रावास में भेज देना, छात्रावास में भेजने की धमकी देना, पैर छूकर मांफी मांगने के लिए बाध्य करना आदि संवेगात्मक हिंसा के रूप हैं। बच्चों के व्यक्तित्व को महत्व न देना बहुत प्रचलित हिंसा है। बालिकाएं तथा विकलांग बच्चे इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं।

8. कुछ लड़कियों का यौन शोषण उनके परिवार वाले तथा निकट सम्बंधी करते हैं। 15 वर्ष तक की बालिकाओं के साथ यौन शोषण 1 से 21 प्रतिशत तक स्थान भेद के साथ पाया जाता है।

9. सरकार द्वारा घोषित विवाह की न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करना भी उनके साथ हिंसा करना है। जिसके फलस्वरूप उन्हें हिंसा तथा बाध्य यौन सम्पर्क से पीड़ित होना पड़ता है। जाति से बाहर विवाह करने, स्वच्छंदता पूर्वक यौन–सम्बंध स्थापन, अभिभावकों द्वारा निश्चित की गई शादी से मना करने पर उनकी हत्या तक कर दी जाती है। हमारा समाज हिंसक होते बचपन के प्रति चिन्ताग्रस्त है। प्रत्येक वर्ष किशोर अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह भी सत्य है कि बड़ी संख्या में किशोर अपराधी अदालतों तक पहुंचते ही नहीं है तथा वे प्रौढ़ होकर अपराधी बनते हैं। किशोर अपराध अन्य अपराधों की भांति किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं होते और न ही इसकी कोई निश्चित परिभाषा दी जा सकती है। आसानी से धन प्राप्त करने, उनकी स्वयं की अपेक्षाएं, घर की भावनात्मक समस्याएं, माता पिता का बच्चों को अनुशासित रखने या सहानुभूति के अभाव के फलस्वरूप बरती गई उपेक्षा तथा कुसंगत प्रमुख कारण होते हैं। घर तथा पडौस के माहौल का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों के कारण होने वाले परिवर्तनों को तब महसूस किया जाता है जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। टी.वी., समाचार पत्र, नेट का प्रभाव बच्चों के व्यवहार को दुष्प्रभावित करता है। बच्चे इन माध्यमों के द्वारा स्वैरकल्पनाएं (Fantansy) बुनते हैं ये कारण उन्हें शक्तिमान, शूटर, क्रोधी, हिंसक होकर बदला लेना, यौन विकृतियों से ग्रस्त, बिना कारण माता पिता के सामने तथा समाज में

मुसीबतें खड़ी करना आदि बना देते हैं। इन सब अपराधों को बच्चे अपराध नहीं मानते बल्कि अपने आपकों गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपचारी तथा उपेक्षित बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम 1986 (यथा संशोधित–2000) में यद्यपि उनकी उचित देखभाल, विकास तथा पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। लेकिन इन कानून के तहत सम्प्रेक्षण गृहों, किशोर गृहों, परिवीक्षा गृहों, नारी–निकेतनों, भिक्षुकगृहों से निकले बालक पुनः अपराध की दुनियां में प्रवेश कर जाते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें परिवार समाज तथा विद्यालय इस प्रकार की परिस्थितियां ही उपलब्ध न कराएं जिससे वे अपराध की दुनिया में प्रवेश करें उनका पालन–पोषण ठीक ढंग से किया जाए ताकि वे सद्नागरिक बन सकें।

10. विद्यालय में बच्चों के साथ हिंसाओं की घटनाएं कम नहीं हैं। अध्यापकों द्वारा कई प्रकार के क्रुर अपमानजनक मर्यादा का हनन किये जाने वाले कार्य किये जाते हैं। विद्यालयों में बच्चों को भयाभिभूत (bullying) करने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार हैं– (1) बच्चे का असंगत नाम धरना (2) बच्चे के सामने मुसीबत खडी करना (3) मारपीट करना, आघात–करना, आक्रमण करना, ठोकर मारना, व्यंग्य करना, नकल उतारना, निन्दा करना, आलोचना करना, दीवार से सिर टकराना, बैंच पर खड़ा करना। हाथ ऊपर करके कक्षा में या कक्षा के बाहर खड़ा करना, दीवार की ओर मुंह करके खड़ा करना, कमीज उतार कर विद्यालय में घुमाना (4) भयभीत करना (5) विद्यालय में आने से रोकना (6) मध्यान्तर छुटटी बन्द करना (7) बच्चे को बुरा सोचने के लिए बाध्य करना (8) कक्षा में पीटना (9) प्रार्थना सभा में बेइज्जत करना, मारना पीटना, दहशत फैलाना आदि अनेक प्रकार के दण्ड दिए जाते हैं। जिनका बालक पर संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है।

11. महाभारत के शांतिपर्व में युधिष्ठिर और भीष्म संवाद है। इस संवााद में भीष्म युधिष्ठिर से अहिंसा के लाभों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अहिंसा से होने वाले लाभों का सौ वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। ''भीष्म अहिंसा को परमधर्म, परमसंयम, परमदान, परमयज्ञ, परममित्र और परमफल बताते हैं। अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में घुमत्सेन और सत्यवान के संवाद का सारांश भी यह है कि गम्भीर अपराधी को भी यह प्रतीज्ञा करने पर कि '' आज से हम कोई अपराध नहीं करेंगे'' उन्हें छोड देना चाहिए।

12. शांति के लिए शिक्षा तथा भाान्ति की शिक्षा दोनों में अन्तर है। विद्यालय स्तर पर शांति के लिए शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न विद्यालयी विषयों में शांति के लिए शिक्षा का समाकलन करना है जबकि शांति की शिक्षा अलग विषय के रूप में या किसी विषय के साथ युक्तीकरण करके शांति की शिक्षा प्रदान करना है। हमारा उद्देश्य विश्वशांति के लिए ि ाक्षण के माध्यम से अंहिसा का ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें परिवार विद्यालय, समुदाय तथा समाज में अहिंसा का पर्यावरण निर्मित हो सके।

13. विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिंसा तथा स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट 2002 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में हिंसा को एक अत्यंत अमर्यादित और जटिल सिलसिला कहा गया है इन्होंने शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा के साथ वंचना और उपेक्षा को भी हिंसा में सम्मिलित किया है तथा कहा गया है कि हिंसा के निराकरण के लिए व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा की जड़े परिवार, विद्यालय, अनाथालयों, आवासीय–स्थलों, सड़कों, कार्य स्थलों तथा जेलों तक फैली हुई हैं। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंसा के जिम्मेदार कारक सांस्कृतिक रीति रिवाज, प्रथाएं, संघर्ष की स्थितियां कुछ भी एक या अनेक हो सकते हैं।

बच्चों की हिंसा के कारण मौत तक भी हो जाती है बच्चों के साथ हिंसा होना सबसे गम्भीर समस्या है। हिंसा की अधिकतर घटनाएं सामने नहीं आती। कुछ तो बच्चे लगातार–हिंसा के अभ्यस्त हो जाते हैं, कुछ भय और आतंक के कारण बताना उचित नहीं मानते। कइ बार बच्चे,स्वयं तथा हिंसा करने वाले हिंसा को ही नहीं समझते। यह छोटी, बड़ी हिंसाएं बच्चे के व्यक्तित्व–निर्माण पर कुप्रभाव छोड़ जाती हैं। यह साधारण कथन नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा परीक्षित सत्य है। हिंसा से पीड़ित बच्चों में शारीरिक चोट के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के मानसिक तथा आचरण सम्बंधी दोष भी आ सकते हैं जिनमें अवसाद, नशाखोरी, दुष्चिंता और आत्महत्या शामिल हैं।

14. बचपन में हिंसा से पीड़ित बच्चों के खुद हिंसक अपराधी बनने का खतरा बढ़ जाता है। यू0के0 के एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि गम्भीर अपराध करने वाले 72 प्रतिशत किशोर बचपन में खुद हिंसा के शिकार रहे हैं। (डब्ल्यू.एच.ओ.2002)। हिंसा घर छोड़कर भागने का प्रमुख कारण होता है। घर छोड़कर भागने वाली अमरीकी लड़कियों में से 12 प्रतिशत का कथन था कि वे घर में अपने आपकों असुरक्षित महसूस करती हैं और इनमें से

25 प्रतिशत शारीरिक या यौन दुरुपयोग झेल चुकी थीं। इन में से 58 प्रतिशत का कहना था कि उनके मन में हिंसा के कारण घर छोड़ने का विचार आया। (डब्ल्यू.एच.ओ. 2002)

बच्चों को शारीरिक दण्ड देकर अनुशासित करने की प्रथा को दुनिया के अधिकांश देशों में मान्यता मिली हुई है। शारीरिक दण्ड का प्रचलन बहुत व्यापक है। यू0के0. तथा अमेरीका में देखा गया है कि 90 प्रतिशत बच्चों को शाीरीरिक दण्ड दिया जाता है।

(डब्ल्यू.एच.ओ. 2002)। विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन से प्रकट हुआ है। कि बच्चों को शारीरिक दण्ड सबसे अधिक माताओं के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि बच्चों के पालन की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। (डब्ल्यू0एच0ओ0. 2002)। बच्चों को शारीरिक दण्ड देने की परम्परा को रोकना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि इससे बाल–अधिकारों का हनन होता है बल्कि इस लिए भी आवश्यक हैं क्योंकि घर में स्वीकार्य हिंसा अथवा आक्रामकता और अधिक हिंसा तथा आक्रामकता का दरवाजा खोलती है। आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी का निष्कर्ष है कि आक्रामकता का पाठ परिवारों में ही पढ़ाया जाता है।

16. उपेक्षा तथा परित्याग, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा न करना, शारीरिक तथा बौद्विक उत्प्रेरक का अभाव, पर्याप्त निर्देशन और मार्गदर्शन न प्रदान करना भी हिंसा का ही बदला रुप हैं। इसके कारण घर में दुर्घटनाएं, नशीले पदार्थों का सेवन, समयपूर्व असुरक्षित शारीरिक यौन सम्बंध और आत्म हत्याएं होते हैं। परित्याग उपेक्षा का निकृष्टतम रूप है। परित्याग का कारण माता–पिता में से किसी एक का या दोनों का यह मानना होता है कि वे बच्चों का ठीक प्रकार पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। यह मानना है कि अधिक साधन सम्पन्न संस्थाएं अथवा परिवार में बच्चे को छोड़ना उसके भविष्य के लिए हितकर रहेगा। विवाहोत्तर सम्बंधों से जुड़े कलंक के कारण जन्म से ही बच्चे का परित्याग कर दिया जाता है।

17. अनुसंधायक के पी.एच.डी. अनुसंधान ''राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों के प्रति भावी तथा सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति तथा प्रत्यक्षण का अध्ययन से विदित हुआ कि–कथन अंग्रेजों ने भारत को आजादी सशस्त्र क्रांतिकारियों से डर कर दी, इसमें अहिंसा का कोई योगदान नहीं था। इस कथन से 79.2 प्रतिशत असहमत पाए गए। जबकि शेष 20.8 प्रतिशत सहमत रहे।

अहिंसा सम्बंधी दूसरे कथन पर अध्यापकों की अभिवृत्ति इस प्रकार रही। यह कथन ''सभी जीवों पर दयाभाव रखना चाहिए, यह मानव धर्म है। इस कथन पर पक्ष में मतदान करने

वाले 82 प्रतिशत अध्यापक रहे जबकि इसे सही न मानने वाले अध्यापक 1.8 प्रति ात रहे तथा 2.2 अनिश्चित रहे।

प्रत्यक्षण सम्बंधी कथन ''मां बाप को यह अधिकार है कि वे अपने बच्चों को मारपीट कर डरा घमकाकर सही रास्ते पर लायें। इस कथन से 40.6 प्रतिशत सहमत रहे जबकि 59.4 प्रतिशत असहमत रहे।

बच्चों को शारीरिक दण्ड देना, अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक है। इस कथन से असहमत अध्यापक 47.8 प्रतिशत हैं जबकि असहमत भी 47.8 प्रतिशत रहे।

जबकि 4.4 प्रतिशत अनिश्चित रहे। बिना भय के प्रेम नहीं होता। अतः बच्चों को डरा घमका कर रखा जाए। इसे उचित मानने वाले अध्यापक 36.2 प्रतिशत रहे जबकि 59.0 प्रतिशत इसे उचित नहीं मानते/इस कथन पर अनिश्चित रहने वाले अध्यापक 4.8 प्रतिशत रहे।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा रहा है कि सभी जीवों पर दयाभाव रखने वाले अध्यापक 82 प्रतिशत है। अर्थात वे सिद्धान्तरूप में अहिंसा के समर्थक हैं। लेकिन अपने अध्यापक बच्चों को शारीरिक दण्ड देना उचित मानते हैं। जबकि डराने धमकाने के पक्षधर अध्यापक 36 प्रतिशत हैं। भारत की आजादी में अहिंसा के महत्व को स्वीकृति प्रदान करने वाले अध्यापक 80 प्रतिशत हैं।

18. सिंह (2009) के अनुसंधान से विदित होता है कि विद्यालय परिवेश में महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा अधिक अनुकूल है। वे किशोर अपराधियों के प्रति भी अधिक सद्भाव रखती हैं। शारीरिक दण्ड देना भी पुरुषों की अपेक्षा कम चाहती हैं। पुरुषों की अपेक्षा डराना धमकाना कम चाहती हैं। वे देर से आने वाले बालकों को भी विद्यालय में घुसने न देने की पुरुषों की अपेक्षा कम पक्षधर हैं।

महात्मा गांधी ने सत्य तथा अहिंसा का प्रयोग कर अपने राष्ट्र को खाई हुई आजादी को प्राप्त करने में एक विलक्षण प्रयोग किया। अहिंसा को विश्वभर में सम्मान देने के लिए गांधी जी के जन्म दिवस (2 अक्टूबर) को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण का सार यह है कि व्यक्ति के शांतियुक्त होने पर ही समाज में शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है जिस से प्रदेश, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण विश्व शांति से युक्त हो सकेगा। व्यक्ति को शांति के लिए आवश्यक है कि गर्भकाल से युवावस्था तक उसका

पालन पोषण प्रेम तथा सौहार्द से परिपूर्ण पर्यावरण में हो तथा उसमें होने वाले अग्रघर्षणों का निराकरण तथा समाधान प्रेमपूर्वक किया जाए। अतः अनुसंधायक ने ''शांति के लिए शिक्षा में अहिंसा का महत्व जानने के लिए अपने अध्ययन का विषय निश्चित किया है।

3. औचित्य

1. विश्व में अशांति होने के कई कारण है इन कारणों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत प्रयत्नशील है। इसके लिए विश्व स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को अन्तराष्ट्रीय शांति–संस्कृति वर्ष के रूप में मनाया तथा द ाक 2001 से 2010 को वि व के बच्चों के लिए अर्न्तराष्ट्रीय शांति–संस्कृति एवं अहिंसा दशक के रूप में मनाया जा रहा है।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी देशों में अहिंसात्यक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है।

3. इस दिवस पर विश्व भर के समस्त दे ाों में अहिंसा के सम्बंध में विस्तृत प्रसार–प्रचार किया जाता है।

4. भविष्य की विश्व योजना–शांति की संस्कृति, मानवाधिकार, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, बन्धुत्व लिंग–समता, संस्कृतियों में सेतु निर्माण, शांति–स्थापन, पारस्परिक सामंजस्य स्थापन (reconciliation) रहेगी ये सभी अहिंसा के आधारभूत सिंद्धांतों पर आश्रित हैं।

5. शांति स्थापन का अर्थ इस युग में परिवर्तित हो गया है पहले इसे युद्ध की समाप्ति समझा जाता रहा है अब यह परिवारों, विद्यालयों, समुदायों राष्ट्रों में सार्वभौमिक मूल्यों तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं तक विस्तारित हो गया है। शांति स्थापन में अब महात्मा गांधी तथा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे समाज सुधारकों पर अध्ययन के लिए अन्तरराष्ट्रीय फैलोशिप प्रदान की जा रही है।

6.हिंसा एक सीखा हुआ व्यवहार है जबकि अहिंसा, आत्मा का शास्वत गुण है। सीखे हुए व्यवहार में परिवर्तन डी–लर्निंग के माध्यम से किया जा सकना सम्भव है जबकि अहिंसात्मक व्यवहार को पुर्नस्मरण कराया जा सकता है।

7. अध्यापक का कार्य बच्चों में निहित सत्य और अहिंसा को प्रकट कर उसके व्यवहार को अहिंसात्मक करना है। अहिंसात्मक जीवन जीने के लिए यह अध्ययन अध्यापकों को बच्चों

की अभिवृत्ति एवं व्यवहार में विधायक परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्व होगा।

8. यदि अध्यापक का जीवन अहिंसा के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होगा तो उनकी शिक्षण विधियां भी अहिंसात्मक होगा जिससे बच्चों के व्यवहार में अहिंसा का अभ्यूदय होगा और समस्त विश्व में शांति स्थापन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा तथा विश्व में सुख और शांति का पर्यावरण निर्मित होगा।

संदर्भ–ग्रन्थ की सूची

-Bertrand Russell(1968) : ि ाक्षा और समाज व्यवस्था दिल्ली,राजकमल प्रका ान प्रा0लि0।

-Bertrand Russell (1970) :ि ाक्षा की रूपरेखा, दिल्ली, राजकमल प्रका ान प्रा0लि0 ।

-Balasubramaniam R (Ed)(1992):Tolerance in Indian Culture ,New Delhi. Indian Philosophical Research Council.

-Best,John.(1978) : Research in Education, New Delhi, Prantice Hall.

-Guttman,L.A. (1967) : A basis for scaling the qualitative data in M.Fishbein(ed).Attitude theory and Measurement Johnwilay & Sons.

-Govt. of India:Convention on the Right to the Child. India First Periodical Report 2001, Ministry of Human Resource Development, Department of Women an Child Development 2001

; योजना मासिक नवम्बर 2008

: भारत का संविधान,विधि एंव न्याय मंत्रालय, विधि विधाई विभाग,राजभाशाखण्ड, प्राधिकृत हिंन्दी पाठ 1996 तक यथा विद्य तथा नवीन सं ाोधनों के पाठ ।

-Indian Alliance for Child Right (2003): Every Right for Every child, New Delhi; 14 Janjwar B, Mathura Road.

- Indian Council for Child Welfare(2002): Regional Conference on the Global Movement for Children and Emerging Issues;Summary of Recommendations New Delhi, 4 Deen Dayal Uppaya Marg.

-Indian Social Institute, New Delhi 110003,10 Institutional Area, Website www.isidelhi.org.in. about 200 books and reports.

- : Measurers of Eradication of Child Labour Fundamental Right to Primary Education.
- : The Juvenile Justice Act. 2000.
- : Adoption of Children in India.
- : Right to Information Act 2005.
- : भोजन का अधिकार अभियान
- : अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी कानून
- : अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार ।
- : बाल मजदूरी, उन्मूलन उपाय तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार ।
- : किशोर न्याय (बाल अपराध और सुरक्षा अधिनियम 2002
- : Girl Child in Crises

- Kalelkar, Kaka Saheb (1965) : अंहिसां जीवन संस्कृति की नई दि ाा,दिल्ली 6 साहित्य प्रका ान ।

-N.C.T.E. (2006) :अध्यापक ि ाक्षा के कतिपय मुददे, नई दिल्ली,21 हंस भवन बहादुर ाहजफर मार्ग ।

-Panday Ramsakal (2002) : वि व के श्रेश्ठ ि ाक्षा भाास्त्री, आगराः विनोद पुस्तक मंदिर ।

-Panday Ramsakal (2000) : बट्रेण्ड रसेल का ि ाक्षा द ान, आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

-Rusk,R.R(1969) : बट्रेण्ड रसेल महान ि ाक्षाभाास्त्रियों के सिद्वान्त, वाराणसीः वि वविद्यालय प्रका ान

-UNESCO : Convention Against Discrimination in Education 14 Dec.1960
: International Commission for the Development of Education Learning to be (1972)
: Convention on the Rights of Child 11 Dec. 1992
: Education for All- Strong Foundation
: Early Childhood Care & Education 2007
- UNO : जातिय–भेदभाव का उन्मूलन घोशणा पत्र 20 नवम्बर 1963।
: मानवाधिकारों का घोशणापत्र।
:बच्चों के अधिकारों का घोशणापत्र 20 नवम्बर 1969।
:सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों का घोशणापत्रःअर्न्त राश्ट्रीय प्रसंविदा ।
- UNO :Peace Education in UNICEF Working Paper Series July 1999.
:Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace .
:The Hague Agenda for Peace and Justice for 21st Century (Ref A/54/98).
:The Human Right to Peace.
-Singh,S.P.(2008) :राश्टीय मूल्यों एंव मानवाधिकारों के प्रति भावी तथा सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति तथा प्रत्यक्षण का अध्ययन। श्रीनगर गढवाल हे0न0ब0ग0वि0वि0 का अप्रकाि ात भाोध प्रबन्ध।
-Singh,J.P.(2009):बाल अधिकारों के प्रति अध्यापकों की तत्परता अभिवृत्ति एंव अभिमतों का अध्ययन, श्रीनगर गढवाल हे0न0ब0ग0वि0वि0का अप्रकाि ात भाोध प्रबन्ध।
-भार्मा, भांकर दयाल (1997): मानवता की हमारी विरासत, दिल्ली, पाण्डुलिपि प्रका ान,कृश्णानगर ।
-Singh,Shireesh .Pal.(2006): ि ाक्षा मनोविज्ञान, जयपुर कल्पना प्रका ान ।
- www.gandhiinstitute.org. MK Gandhi Institute for Non violence.
- www.upeace.org.. University of Peace.
-http://csf.colarodo.edu/peace/-peace studies in the United States-
www.everydaygandhis.com/Everyday Gandhis.
-http://saje.itu.int/habyouth. Hague Appeal for Peace.
-www.ipb.org. International Peace Bureau.
-www.peace makercommunity.org. Peace Maker Community.
-www.seeds of peace,.org. Seeds of Peace.
-www.amnesty.org. Amnesty International.
-.www.ncert.nic.in. National Council for Educational Research & Training.
-www.ncte.India.org. National Council for Teacher Education.
-.www.ic.org. International Community.